10.1.20

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। बाद वादी साबित होने पर डिक्री किया जाता है, निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

RW

RRSM Ltd., Jaipur/2449/2006

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 16/1999
वाद दायरी दिनांक : 12.02.1999
निर्णय दिनांक : 10.01.2020

दामोदर पुत्र हरनाथ पुरोहित निवासी आकोदा फौत जरिये वारिशान–

1/1 रामअवतार पुत्र स्व0 दामोदर

1/2 गोपाल लाल पुत्र स्व0 दामोदर (फौत)

1/2/1 सुशीला पत्नी स्व0 गोपाललाल

1/2/2 रविकुमार पुत्र स्व0 गोपाललाल

1/2/3 रेखा पुत्री स्व0 गोपाललाल

1/3 अनिल कुमार पुत्र स्व0 दामोदर

जाति ब्राहम्ण निवासी आकोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

1/4 सरजू देवी बेवा दामोदर

1/5 आशा देवी पुत्री दामोदर पत्नि लखनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मनोहरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

1/6 निर्मला पुत्री दामोदर पत्नि अनिल कुमार पारीक निवासी सिरसी तहसील झोटवाड़ा जिला जयपुर राज0

1/7 उर्मिला पुत्री दामोदर पत्नि धर्मेन्द्र पारीक निवासी जाटा वाली तहसील चौमू जिला जयपुर राज0

--- वादीगण

वनाम

1. रामेश्वर दत्तक पुत्र राधामोहन पुरोहित (नाम हजफ)
2. राजेश उम्र 23 साल पुत्र कन्हैयालाल पुरोहित निवासी आकोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. महेश पुत्र कन्हैयालाल उम्र 20 साल फौत (नाम हजफ)
4. माली देवी पत्नि कन्हैयालाल [illegible] साल
5. रामअवतार दत्तक पुत्र रामप्रसाद उम्र [illegible] निवासी आकोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
6. भंवरलाल पुत्र हरनाथ फौत जरिये वारिशान:–

6/1 कमला बेवा भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 16 गणगौरी बाजार फुलेरा फौत नाम हजफ

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

6/2 विमला पुत्री भंवरलाल पत्नि हरिमोहन जाति पारीक ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर

6/3 शांति बेवा ओमप्रकाश पारीक पुत्री भंवरलाल पारीक निवासी शाकम्भरी कॉलोनी फुलेरा प्लाट नम्बर 19/70 केयर ऑफ महेन्द्र पारीक फुलेरा

6/4 पुष्पा पत्नि मनमोहन पुत्री भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी शिवाजी नगर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0

6/5 सुशीला पत्नि अशोक कुमार पारीक पुत्री भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी केर ऑफ बृजलाल पारीक निवासी नेहरू नगर पानीपेज के पास प्लाट संख्या 8/17 जयपुर

7. जगन पुत्र छोटू

8. सुरेन्द्र पुत्र छोटू

9. मुकेश पुत्र छोटू

10. रोहित पुत्र भंवरलाल

जाति जाट निवासी मुण्ड की ढाणी तन आकोदा तहसील फुलेरा जयपुर नाबालिगान जरिये वली छोटूराम पुत्र मांगू निवासी मुण्ड की ढाणी तन आकोदा जाति जाट निवासी मुण्ड की ढाणी तन आकोदा पिता नाबालिकान।

11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

12. भंवरीदेवी पत्नी राधामोहन, जाति ब्राहाम्ण, निवासी आकोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

13. मन्नीदेवी पत्नी रामप्रसाद, जाति ब्राहाम्ण, निवासी आकोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक, विभाजन आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री अवधेश कुमार पारीक**
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री तेजपाल प्रजापत
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीनी संख्या 13

प्रतिवादी संख्या 1 ता. 10 व 12 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से कोई उपस्थित।

निर्णय दिनांक 10.1.2020

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की पारिवारीक वंशावली बताते हुये कथन किया कि वंशावली के अनुसार राधामोहन व कन्हैयालाल तथा रामप्रताप का स्वर्गवास हो चुका है। रामेश्वर, राधामोहन गोद चले जाने से उसके उत्तराधिकारी व वारिस है इसी प्रकार से मुकेश रामेश्वर का एंव रामअवतार, रामप्रताप का दत्तक पुत्र है इस प्रकार से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 स्वर्गीय हरनाथ के वंशज है पक्षकारो के परिवार में भंवरलाल जी सबसे बुजुंर्ग व्यक्ति एवं सदस्य है। ग्राम आकोदा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त कब्जे काश्त की सम्पतियों की उनकी पैतृक एवं मौरूसी है जिसका विवरण इस प्रकार से है:— खसरा नम्बर 439 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नबर 448 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 489 रकबा 6 बीधा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 486 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 488 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 55 बीघा 07 बिस्वा। उपरोक्त आराजी उपरोक्त पारीवारिक वंशावली के अनुसार स्व0 हरनाथ से प्राप्त हुई हैं। जिसमें स्व0 हरनाथ के पुत्र भंवरलाल, राधामोहन, दामोदर, कन्हैयालाल व रामप्रसाद का बराबर बराबर अर्थात प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। रामेश्वर चूंकि राधामोहन के गोद जा चुका था इस कारण से उसका स्वयं का विवादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा पृथक से नही रहा। इस प्रकार से विवादग्रस्त भूमि मे पक्षकारो के हिस्से निम्न प्रकार से है:— वादी हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1, 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/5 हिस्सा पक्षकार इसी भांति काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है और लगान अदा करते आ रहे है। पक्षकारों के परिवार में भंवरलाल सबसे बडे थे तथा हरनाथ जी का स्वर्गवास सम्वत 2011 से पूर्व हो चुका था अतः इसी कारण से परिवार का मुखिया व कर्ता खानदान होने से विवादग्रस्त आराजी का पर्चा खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम आ गया जबकि विवादग्रस्त भूमि में उपरोक्त प्रकार से सभी पक्षकारो का हिस्सा था। परन्तु पक्षकारो के सम्बंध में चूंकि आपस में मधुर सम्बंध थे तथा उनके मध्य किसी प्रकार का विवाद नही था अतः वादी एवं अन्य पक्षकारो ने किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की आवश्यक[illegible] पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर वाद के म[illegible]सार विवादग्रस्त भूमि को काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] हिस्सा था जिसके अनुसार उसके खसरा नम्बर 439 में से उत्तर [illegible]रफ की 1/2 हिस्सा अर्थात 10 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लायी गयी। 28/03/2000 को प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

दिनांक दिनांक 02/05/2000 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6 की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06/05/2002 को वादी मृतक दामोदर व प्रतिवादी संख्या 6 का कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जो स्वीकार किया जाकर मृतक वादी दामोदर एवं प्रतिवादी संख्या 6 भंवरलाल के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 24/09/2002 को मृतक भंवरलाल के विधिक वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल जैन ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 27/05/2003 को प्रतिवादी संख्या 7 ल. 10 के अधिवक्ता ने जवाब पेश नही करना जाहिर करने से जवाब बन्द किया गया।

दिनांक 14/10/2010 को प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0 दी0 का पेश हुआ, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया गया। लाल स्याही से अंकन किया गया।

दिनांक 16/06/2011 को समस्त प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 11/07/2011 को वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 19/07/2011 को प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित वाद पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 08/08/2011 को प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. व प्रार्थीगण भंवरीदेवी, मुकेश की ओर से श्री भंवरलाल जैन ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 पेश किया गया। दिनांक 19/09/2011 को वकील वादी ने जवाब प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 व 09 नियम 7 जा0 दी0 का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 07/02/2012 को प्रार्थना–पत्र अन्र्तगत आदेश 09 नियम 7 जा0 दी0 [illegible] विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] नियम 10 जा0 दी0 मन्सुख किया गया दिनांक 21/02/2012 को [illegible] प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 भंवरीदेवी के बाबत स्वीकार किया गया एवं मुकेश [illegible] जा0 दी0 खारिज किया गया। दिनांक 28/02/2012 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(जयपुर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 27/03/2012 को प्रतिवादी संख्या 12 ने उपस्थित होकर जवाबदावा हेतु समय चाहा। दिनांक 13/01/2014 को वादी द्वारा मृतक 1/2 गोपाललाल की मृत्यु बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 शामिल किया गया। दिनांक 27/01/2015 को प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 स्वीकार किया गया। दिनांक 10/12/2015 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया।

दिनांक 16/04/2018 को वादी ने इकरारनामा दिनांक 12/01/1999 पर प्रदर्श हेतु निवेदन किया, जिस प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गयी। बहस पक्षकारान सुनी जाकर न्यायहित में वादी को दस्तावेज दिनांक 12/01/1999 पर प्रदर्श कराने की अनुमति की गयी।

दिनांक 11/03/2019 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6, 7 ल. 10, 12 की ओर से न तो अधिवक्ता उपस्थित हुये न ही स्वंय प्रतिवादीगण उपस्थित होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

दिनांक 31/05/2019 को वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 14/06/2019 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। दिनांक 27/06/2019 को प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 13 साक्ष्य पेश न कर बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण संख्या 1/1 ल. 1/7 एवं प्रतिवादी संख्या 13 की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण संख्या 1/1 ल. 1/7 एवं प्रतिवादी संख्या 13 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। माननीय न्यायालय ने प्रकरण के न्याय निर्णयन हेतु 10 तनकीयात कायम की गयी हैं। पत्रावली के अवलोकन से उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

<u>तनकी संख्या 1</u>:– ''आया विवादग्रस्त भूमि पक्ष[illegible] पैतृक सम्पति है, जिसमें हरनाथ के पुत्र भंवरलाल, राधामोहन, दामोदर, कन्हैयालाल, रामेश्वर व रामप्रसाद का समान रूप से अर्थात प्रत्येक का 1/5 हिस्सा हैं।''

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं। [illegible] द्वारा प्रस्तुत सिजरा हरनाथ के भवंरलाल, राधामोहन, दामोदर, कन्हैयालाल, रामेश्वर व रामप्रसाद अर्थात 6 पुत्र हुये,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(जयपुर)

Scanned by CamScanner

उक्त विवादित आराजीयात का बराबर–बराबर 1/6–1/6 हिस्से अनुसार नामान्तरकरण खुलना चाहिये था इस बात को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6 ने अपने जवाबदावा के मद नम्बर 2 एवं प्रतिवादी संख्या 12 के जवाबदावा के मद संख्या 2 में प्रतिवादीगण ने स्वीकार कर विवादित आराजी हरनाथ की आराजीयात होना एवं हरनाथ के सभी पुत्रों का समान रूप से अर्थात प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा होना स्वीकार किया हैं, लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह साबित है कि राधामोहन के कोई औलाद नही होने से उसके उसका भाई रामेश्वर गोद आने से उसके नाम से विरासत दर्ज कर दी गयी, इस प्रकार विवादित आराजीयात में कुल 5 हिस्से ही रह गये थे। मगर स्वंय रामेश्वर व राधामोहन की पत्नि भंवरीदेवी ने इस तथ्य का खण्डन किया है कि रामेश्वर, राधामोहन के गोद गया था। अतः जिस तथ्य का उससे प्रभावित दोनो पक्षकार गोद देने वाले व गोद लेने वाले दोनो ने खण्डन कर दिया हो व उस तथ्य का किसी साक्षी द्वारा समर्थन नहीं किया गया हो तो वह तथ्य नासाबित है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि रामेश्वर व उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिससे रामेश्वर का नाम वाद से हजफ किया जा चुका हैं। प्रस्तुत वाद में रामेश्वर के कोई जायन्दा संतान होने का कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नही है एवं न ही कोई गोद का वारिस रिकार्ड पर है तथा न्यायालय के समक्ष मुकेश पुत्र कन्हैयालाल ने अपने आपको रामेश्वर का पुत्र बताते हुये आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जिसका इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण करते हुये मुकेश को रामेश्वर का वारिस नही मानते हुये प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया तथा मुकेश द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपने आपको रामेश्वर का पुत्र होने सम्बन्धी सक्षम न्यायालय से कोई उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र पेश नही किया है, स्वंय रामेश्वर द्वारा मुकेश को गोद लेने के तथ्य का खण्डन किया गया है जिससे उक्त प्रकरण में रामेश्वर का नाम हजफ किया जा चुका है, इस प्रकार चूंकि स्व0 रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है एवं उसके कोई विधिक वारिसान न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर नही हे, ऐसी स्थिति में रामेश्वर का नाम भी हजफ किया जा चुका है, इसलिये कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजीयात में भंवरलाल, राधामोहन, दामोदर, [illegible] अर्थात प्रत्येक स्वंय या उनके वारिसान द्वारा प्रत्यके का 1/5–1/5 [illegible] रह गया है, जिसको वादी ने बखूबी साबित किया हैं। प्रतिवादीगण सं0 1,2 [illegible] द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा तथा प्रतिवादीया सं0 12 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वा[illegible]मि को हरनाथ की सम्पति होना, तथा वरवक्त सेटलमेन्ट परिवारिक सदस्यों के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के मद सं0 2 में ग्राम आकोदा की वादभूमि को हरनाथ के पुत्रों की पैतृक सम्पति होना कथन है। इस प्रकार वादभूमि पक्षकारो की पैतृक सम्पति है, क्योकिं इस विवाधक तथ्यों को वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है, इसलिए यह तथ्य स्वीकृत तथ्य है। इसके अलावा वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान पी.डब्ल्यू 1, 2, 3 के द्वारा जो बयान दिये है उनसे भी विवादित आराजीयात भंवरलाल, राधामोहन, दामोदर, कन्हैयालाल, रामप्रसाद की 1/5–1/5 हिस्से अनुसार होना पायी जाती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 1 को वादी ने अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u>:– ''आया रामेश्वर के राधामोहन के यहां गोद जाने से उनका हरनाथ की सम्पति में हिस्सा राधामोहन के जरिये हैं।''

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं। वादी ने अपने वाद–पत्र में रामेश्वर का हिस्सा राधामोहन के गोद जाने से हरनाथ की सम्पति में जरिये राधामोहन अपना हिस्सा बताया है, लेकिन प्रतिवादी रामेश्वर स्वंय ने अपने जवाबदावा में अपने आपको राधामोहन के गोद जाना नही बताया तथा राधामोहन के विधिक वारिस के तौर इस न्यायालय के समक्ष भंवरीदेवी जो कि राधामोहन की पत्नी है, ने आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसका इस न्यायालय ने गुणावगुण पर निस्तारण करते हुये भंवरीदेवी को राधामोहन का पक्षकार मानते हुये रिकार्ड पर ले लिया जो वर्तमान में प्रतिवादीनी संख्या 12 के रूप में इस प्रकरण में दर्ज होकर रिकार्ड पर हैं। स्वंय रामेश्वर व राधामोहन की पत्नि भंवरीदेवी ने इस तथ्य का खण्डन किया है कि रामेश्वर, राधामोहन के गोद गया था। अतः जिस तथ्य का उससे प्रभावित दोनो पक्षकार गोद देने वाले व गोद लेने वाले दोनो ने खण्डन कर दिया हो व उस तथ्य का किसी साक्षी द्वारा समर्थन नहीं किया गया हो तो वह तथ्य नासाबित है। इस प्रकार वादी का यह कथन कि ''रामेश्वर के राधामोहन गोद जाने से उनका हरनाथ की सम्पति में हिस्सा राधामोहन के जरिये है।'' नासाबित हो जाता हैं तथा न्यायालय ने राधामोहन के वारिस के तौर पर उसकी पत्नी भंवरी देवी को रिकार्ड पर लिया हैं। ऐसी स्थिति में वादी तनकी संख्या 2 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी तय की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 3</u>:– ''आया प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने 1/5 हिस्से की ऐवज में खसरा नम्बर 439 में से उत्तर की ओर का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक

Scanned by CamScanner

12/01/1999 प्रतिवादी संख्या 7 व 10 को विक्रय कर दिया और इस प्रकार विवादित आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ल. 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा रहा तथा इसी अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किये जाने योग्य हैं।''

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय–पत्र दिनांक 12/01/1999 से यह पाया जाता है कि स्व0 भंवरलालजी ने अपने नाम दर्ज भूमि में से खसरा नम्बर 439 की भूमि में 1/2 हिस्सा की भूमि अपने हिस्से की ऐवज में प्रतिवादी संख्या 7 ल. 10 को बैचान कर दी है, इसलिये स्व0 भंवरलाल जी द्वारा जो जमीन विक्रय की गयी है, इसलिये उक्त आराजी में स्व0 भंवरलाल का कोई हिस्सा नही रहा है, चूंकि प्रतिवादीनी संख्या 13 ने भी इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया हैं तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुयी है, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर 439 में स्व0 भंवरलाल का कोई हिस्सा नही रहा है इसलिये खसरा नम्बर 439 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 7 ल. 10 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीनी संख्या 12, वादीगण, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 तथा प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादीनी संख्या 13 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा ही रहा हैं तथा इसी अनुसार घोषणा वादी प्राप्त करने का अधिकारी हैं, चूकि वादी ने अपनी बहस में मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि वह विवादित आराजी का विभाजन नही चाहता हैं, इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन की राहत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिति में वादी ने उक्त तनकी को साबित किया है, जिससे उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 4</u>:– ''आया राधामोहन के वारिस भंवरीदेवी व रामप्रसाद की उत्तराधिकारी मन्नुदेवी हैं। वाद में आवश्यक पक्षकार हैं।''

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में यह उज्र लिया था कि राधामोहन के वारिस भंवरीदेवी व रामप्रसाद की उत्तराधिकारी मन्नुदेवी है, जिसको पक्षकार कायम नही किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भंवरीदेवी जो कि राधामोहन की पत्नी है, ने आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 का प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसका दिनांक ... को निस्तारण करते हुये भंवरीदेवी को राधामोहन का पक्षकार मानते हुये रिकार्ड पर ले लिया जो वर्तमान में प्रतिवादीनी संख्या 12 के रूप में इस प्रकरण में दर्ज होकर रिकार्ड पर हैं तथा प्रतिवादी संख्या 13 को भी पक्षकार कायम किया जा चुका हैं। इस प्रकार उक्त तनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

संख्या 4 में चाहा गया अनुतोष वाद में पूर्ण हो चुका है, ऐसी स्थिति में उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 5:– ''आया पक्षकारों की वंशावली वाद के मद नम्बर 1 के अनुसार? हैं।''

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में यह उज्र लिया था कि राधामोहन के वारिस भंवरीदेवी व रामप्रसाद की उत्तराधिकारी मन्नुदेवी है को भी वारिस होना अंकित करते हुये वादी द्वारा दर्ज वंशावली को गलत बताया था, लेकिन इस न्यायालय के समक्ष बाद में सभी पक्षकार कायम हो चुके है, ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार उक्त तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी व वादी के हक में तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 6:– ''आया विवादग्रस्त भूमि में रामेश्वर का हिस्सा हरनाथ के अन्य पुत्रों के समान हैं।''

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर हैं। उक्त तनकी संख्या 6 का सम्बन्ध तनकी संख्या 1 से है, चूंकि तनकी संख्या 1 वादी के हक में तय हो चुकी हे, इसलिये यह तनकी स्वतः ही विरूद्ध प्रतिवादी तय हो जाती है, क्योंकि रामेश्वर व उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिससे रामेश्वर का नाम वाद से हजफ किया जा चुका हैं। प्रस्तुत वाद में रामेश्वर के कोई जायन्दा सन्तान होने का कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नही है एवं न ही कोई गोद का वारिस रिकार्ड पर है तथा न्यायालय के समक्ष मुकेश पुत्र कन्हैयालाल ने अपने आपको रामेश्वर का पुत्र बताते हुये आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 का प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जिसका इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण करते हुये मुकेश को रामेश्वर का वारिस नही मानते हुये प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया तथा मुकेश द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपने आपको रामेश्वर का दत्तक पुत्र होने सम्बन्धी सक्षम न्यायालय से कोई उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र पेश नही किया है, इस प्रकार चूंकि स्व0 रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है एवं उसके कोई विधिक वारिसान न्यायालय के स[illegible] रि[illegible] पर नही हैं, ऐसी स्थिति में रामेश्वर का नाम भी हजफ किया जा चुका है, इस [illegible] हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजीयात में [illegible]लाल, राधामोहन, दामोदर, कन्हैयालाल, रामप्रसाद का ही अर्थात प्रत्येक का 1/5–1/5 हक व हिस्सा रह गया है, जिसको वादी ने बखूबी साबित किया हैं। इसके अलावा वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डी डब्ल्यू 1, 2, 3 के द्वारा जो बयान दिये है उनसे भी विवादित आराजीयात भंवरलाल, राधामोहन, दामोदर, कन्हैयालाल, रामप्रसाद की 1/5–1/5 हिस्से अनुसार होना पायी जाती हैं। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में रामेश्वर व उसकी पत्नि के जीवित रहते रामेश्वर का वादभूमि में हिस्सा हरनाथ के अन्य पुत्रों के समान है वर्तमान स्थिति में स्व0 हरनाथ की सम्पति में स्व0 रामेश्वर का किसी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नही रहा हैं। ऐसी स्थिति में यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 7</u>:– "आया पक्षकारों के मध्य 27 वर्ष पूर्व जवाबदावा के मद नम्बर 4 से 13 के अनुसार विभाजन हुआ एवं उनका वाद पर क्या प्रभाव हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में 27 वर्ष पूर्व विभाजन होना अंकित किया है, लेकिन वादी ने इसको अस्वीकार किया हैं व अपनी बहस में खाता विभाजन के प्रतिवादी ने मात्र अपने जवाबदावा में विभाजन होना ही अंकित किया है, लेकिन इसके समर्थन में किसी प्रकार से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है, जिससे प्रतिवादी के कहे अनुसार मौके पर काबिज होना नही माना जा सकता हैं ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 8</u>:– "आया पक्षकारों का 1/5 हिस्सा गलत होने से स्वीकार नही है, पक्षकारान 1/5 हिस्से के अनुसार नही बल्कि 1/6 हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर हैं। उक्त तनकी संख्या 8 तनकी संख्या 1 व 6 से सम्बन्धित है, चूंकि तनकी संख्या 1 व 6 वादी के हक में तय की जा चुकी है, इसलिये तनकी संख्या 8 स्वतः ही वादी के हक में तय हो जाती हैं ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 8 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 9</u> :– "आया जवाबदावें के मद नम्बर 12 के अनुसार रामप्रसाद के वारिस को पक्षकार कायम नही किया गया जो वाद विभाजन में आवश्यक पक्षकार है, जो नोन जोईन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टी होने से वाद खरिज किये जाने योग्य हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर हैं। रामप्रसाद के विधिक वारिस के तौर पर प्रतिवादीनी संख्या 13 [illegible] पक्षकार कायम हुयी है, इस प्रकार रामप्रसाद के विधिक वारिसान [illegible] हो चुके है, ऐसी स्थिति में अब उक्त प्रकरण किसी प्रकार से [illegible] जोईन्डर ऑफ पार्टी का नुक्त नही रह जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 9 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

...नकी संख्या 10 —

...वादरसी''

इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से यह पाया जाता है कि स्व0 हरनाथ की विवादित आराजीयात के विधिक वारिसान के तौर पर भंवरलाल, राधामोहन, दामोदर, कन्हैयालाल एवं रामप्रसाद ही रहे है, जिनके विधिक वारिसान पत्रावली पर मौजूद हैं, जिससे विवादित आराजीयात में 1/5–1/5 हिस्सा बनता है, जिसको वादी ने मौके पर काबिज अनुसार हिस्सा की घोषणा चाही है, वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा से भी साबित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 ने यह स्वीकार किया है विवादित जमीन में से इकरारनामा में वर्णित भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त हैं। वादी ने अपने वाद–पत्र के मद संख्या 12 में जिस प्रकार से विभाजन होना दर्शाया है, उसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार नही किया है और प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में जिस प्रकार से विभाजन होना बताया है, उनको प्रतिवादीगण द्वारा साबित नही किया गया है, वादीगण ने अपनी बहस में मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि वह विवादित आराजी का विभाजन नही चाहता हैं, इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन की राहत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादीगण ने अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं, जिससे वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 439, 448, 487, 489, 486, 488 कुल किता 06 कुल रकबा 55 बीघा 07 बिस्वा में से स्व0 भंवरलाल द्वारा विक्रय की गयी भूमि खसरा नम्बर 439 को छोडते हुये वर्तमान में स्व0 भंवरलाल के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 448, 487, 489, 486, 488 में वादी संख्या 1/2 ल. 1/7 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2, 4 व मुकेश पुत्र कन्हैयालाल संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादीनी संख्या 13 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव आराजी खसरा नम्बर 249, 68, 72, 144, 263, 438, 636, 675, 691, [illegible] 795, 1138, 794 में वादी संख्या 1/2 ल. 1/7 को संयुक्त [illegible] प्रतिवादी सं0 2, 4 व मुकेश पुत्र कन्हैयालाल को संयुक्त [illegible] का, प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादीनी संख्या 13 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 6/2 लगायत 6/5 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 12 को 1/5 हिस्से का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 439 में स्व0 भंवरलाल ने अपने हिस्से की ऐवज में भूमि बैचान कर दी है, इसलिये उक्त खसरा नम्बर में स्व0 भंवरलाल का कोई हिस्सा नही रखते हुये उक्त खसरा नम्बर 439 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 7 ल. 10 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीनी संख्या 12, वादीगण, प्रतिवादी सं0 2, 4 व मुकेश पुत्र कन्हैयालाल तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 13 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त किया जावें। वादभूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने या बैंक द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी करने पर अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतः निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक (जयपुर)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

…ज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

…इजलास :– राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

…मोदर पुत्र हरनाथ पुरोहित निवासी आकोदा फौत जरिये वारिशान–

1/1 रामअवतार पुत्र स्व0 दामोदर

1/2 गोपाल लाल पुत्र स्व0 दामोदर (फौत)

1/2/1 सुशीला पत्नी स्व0 गोपाललाल

1/2/2 रविकुमार पुत्र स्व0 गोपाललाल

1/2/3 रेखा पुत्री स्व0 गोपाललाल

1/3 अनिल कुमार पुत्र स्व0 दामोदर
जाति ब्राहम्ण निवासी आकोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

1/4 सरजू देवी बेवा दामोदर

1/5 आशा देवी पुत्री दामोदर पत्नि लखनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मनोहरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

1/6 निर्मला पुत्री दामोदर पत्नि अनिल कुमार पारीक निवासी सिरसी तहसील झोटवाडा जिला जयपुर राज0

1/7 उर्मिला पुत्री दामोदर पत्नि धर्मेन्द्र पारीक निवासी जाटा वाली तहसील चौमू जिला जयपुर राज0

—— वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर दत्तक पुत्र राधामोहन पुरोहित (नाम हजफ)
2. राजेश उम्र 23 साल पुत्र कन्हैयालाल पुरोहित निवासी आकोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. महेश पुत्र कन्हैयालाल उम्र 20 साल फौत (नाम हजफ)
4. माली देवी पत्नि कन्हैयालाल उम्र 65 साल
5. रामअवतार दत्तक पुत्र रामप्रसाद उम्र 50 साल जाति ब्राहम्ण निवासी आकोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
6. भंवरलाल पुत्र हरनाथ फौत जरिये वारिशानः–

6/1 कमला बेवा भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 16 गणगौरी बाजार फुलेरा फौत नाम हजफ

6/2 विमला पुत्री भंवरलाल पत्नि हरिमोहन जाति पारीक ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर

6/3 शांति बेवा ओमप्रकाश पारीक पुत्री भंवरलाल पारीक निवासी शाकम्भरी कॉलोनी फुलेरा प्लाट नम्बर 19/70 केयर ऑफ महेन्द्र पारीक फुलेरा

6/4 पुष्पा पत्नि मनमोहन पुत्री भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी शिवाजी नगर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0

6/5 सुशीला पत्नि अशोक कुमार पारीक पुत्री भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी केर ऑफ बृजलाल पारीक निवासी नेहरू नगर पानीपेच के पास प्लाट संख्या 8/17 जयपुर

7. जगन पुत्र छोटू
8. सुरेन्द्र पुत्र छोटू
9. मुकेश पुत्र छोटू
10. रोहित पुत्र भंवरलाल

जाति जाट निवासी मुण्ड की ढाणी तन आकोदा तहसील फुलेरा जयपुर नाबालिगान जरिये वली छोटूराम पुत्र मांगू निवासी मुण्ड की ढाणी तन आकोदा जाति जाट निवासी मुण्ड की ढाणी तन आकोदा पिता नाबालिकान।

11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

12. भंवरीदेवी पत्नी राधामोहन, जाति ब्राहाम्ण, निवासी आकोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

13. मन्नीदेवी पत्नी रामप्रसाद, जाति ब्राहाम्ण, निवासी आकोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

--- प्रतिवादीगण

वाद इस्तकराररहक, विभाजन आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं0 16/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री अवधेश कुमार पारीक व हाजरी श्री तेजपाल प्रजापत मिनजानिब मुददई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 439, 448, 487, 489, 486, 488 कुल किता 06 कुल रकबा 55 बीघा 07 बिस्वा में से स्व0 भंवरलाल द्वारा विक्रय की गयी भूमि खसरा नम्बर 439 को छोडते हुये वर्तमान में स्व0 भंवरलाल के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 448, 487, 489, 486, 488 में वादी संख्या 1/2 ल. 1/7 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2, 4 व मुकेश पुत्र कन्हैयालाल संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादीनी संख्या 13 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव आराजी खसरा नम्बर 249, 68, 72, 144, 263, 438, 636, 675, 691, 1136, 1137, 648, 659, 735, 1138, 794 में वादी संख्या 1/2 ल. 1/7 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2, 4 व मुकेश पुत्र कन्हैयालाल को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादीनी संख्या 13 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6/2 लगायत 6/5 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 12 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 439 में स्व0 भंवरलाल ने अपने हिस्से की ऐवज मे भूमि बैचान कर दी है, इसलिये उक्त खसरा नम्बर मे स्व0 भंवरलाल का कोई हिस्सा नही रखते हुये उक्त खसरा नम्बर 439 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा मे प्रतिवादी संख्या 7 ल. 10 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीनी संख्या 12, वादीगण, प्रतिवादी सं0 2, 4 व मुकेश पुत्र कन्हैयालाल तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 13 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त किया जावें। वादभूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने या बैंक द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी करने पर अमल दरामद किया जावे।खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। निज ....—........ मुबलिग........—........ बाबत्........—........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह........—........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........—........का अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

	[illegible]	[illegible]		[illegible]	पैसे
…अंकी (खर्चा)				–	–
…वकालतनामा				–	–
…वजह सबूत				–	–
…तलबाना अधिवक्ता	–	–	महनताना अधिवक्ता	–	–
…गवाहान	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
…कमीश्नर	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
…मुतफरिक	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान		

Scanned by CamScanner